



सीएसआईआर  
CSIR  
भारत का नवाचार इंजन  
*The Innovation Engine of India*

# PIDPI

**AWARENESS ON  
PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND  
PROTECTION OF INFORMERS RESOLUTION  
(PIDPI), 2004**

**VIGILANCE DIVISION, CSIR**



## **PUBLIC INTEREST DISCLOSURE AND PROTECTION OF INFORMERS RESOLUTION , 2004 (PIDPI)**

# **IS THERE CORRUPTION AROUND YOU? LODGE A COMPLAINT UNDER PIDPI.**

**YOUR IDENTITY SHALL BE KEPT  
CONFIDENTIAL**

### **SEND COMPLAINTS IN WRITING TO :**

**The Secretary, Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan, Block – A, GPO Complex, INA  
New Delhi – 110 023**

**(MARK THE ENVELOPE AS “PIDPI”. COMPLAINTS SHOULD  
PERTAIN ONLY TO CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES,  
INCLUDING PSUs, PSBs AND UTs ETC.)**

# PIDPI COMPLAINTS: WHAT ARE THEY? & WHEN SHOULD YOU MAKE THEM?



1

Complaints made under Public Interest Disclosure and Protection of Informers Resolution are termed as PIDPI complaints

If any complaint is made under PIDPI, the identity of the complainant is kept confidential

2



3

The complaint should be addressed to the Secretary, Central Vigilance Commission and Envelope should be marked as "PIDPI"

Only complaints against Central Government officials (including PSBs, PSUs and UTs) will be taken into cognizance

4



5

For more details visit <http://www.cvc.gov.in>

## PIDPI COMPLAINT MAY BE FILED AGAINST THE EMPLOYEE OF :

- Central Government.
- Central Public Sector Enterprises.
- Public Sector Banks.
- Corporations Established by or under any Central Act.
- Government companies, societies or local authorities owned or controlled by the Central Government.



## WHAT IS CORRUPTION?

- Bribery (Give / Take).
- Nepotism.
- Wilful action or inaction to benefit someone.
- Wilful action or inaction to deny benefit to someone (known or unknown).
- Favouritism.
- Failure to follow laid down processes leading to unintended benefit to someone.
- Denial of benefit to the deserving
- Gross wilful negligence.
- Recklessness in decision making.
- Blatant violations of systems and procedures.
- Exercise of discretion in excess, where no ostensible public interest is evident.
- Failure to keep the controlling authority / superiors informed of required transactions and issues in time.





## The list continues....

- Cause of undue loss or a concomitant gain to an individual or a set of individuals or a party or parties.
- Cases of misappropriation, forgery, fraud, theft or cheating or other similar offences.
- Possession of assets disproportionate to the known sources of the income.
- Demanding and/or accepting gratification other than legal remuneration in respect of an official act or for using his influence with any other official.
- Obtaining valuable things, without consideration or with inadequate consideration from a person with whom he/she has or is likely to have official dealings or his/her subordinates have official dealings or where he can exert influence.
- Obtaining for himself or for any other person any valuable thing or pecuniary advantage by corrupt or illegal means or by abusing his position as a public servant.
- Misuse of office or position.




## WHERE TO COMPLAIN?

**Complaints may be addressed to:**



The Secretary,  
Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan, Block – A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi – 110 023.

**Sample Envelope:**





## HOW TO COMPLAIN UNDER PIDPI?

- The Complaint should be in a closed / secured envelope.
- The envelope should be super-scribed as “PIDPI” or “Complaint under the Public Interest Disclosure”.
- The complainant should mention his/her name and address in the beginning or end of complaint or in a attached letter.
- The name and address of the complainant should not be mentioned on the envelope.
- Complaints should be sent via POST only.
- Complaints received through emails, Complaint Management Portal of CVC or any other electronic medium will not be entertained.
- The text of the complaint should be drafted so as not to give any details or clue of the identity of the complainant.
- The details or content of the complaint should be specific and verifiable.
- Complainant can also attach supporting documents, if available.





## SAMPLE LETTER:

To,  
The Secretary,  
Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan, Block-A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi - 110 023.

Sub: .....

Content.....

.....

.....

.....

.....

Thank You.  
Yours Sincerely

-Signature-

Name: XYZ

Address: 41 MG Road, Shastri Nagar,  
New Delhi-110 0XX



**Sample letter mentioned in the previous page will be sent by the CVC to CBI / CVO for investigation in format below (by hiding name and address)**

To,  
The Secretary,  
Central Vigilance Commission  
Satarkta Bhavan, Block-A,  
GPO Complex, INA,  
New Delhi - 110 023.

Sub: .....

Content.....

.....

.....

.....

.....

Thank You.  
Yours Sincerely

**HIDDEN**

**Your name and address is not disclosed by the CVC and will not reach the investigating agency i.e. CVO / CBI.**



## THINGS TO BE AVOIDED

- Anonymous / pseudonymous complaints should not be sent.
- Generic content in complaint should be avoided. It should be specific to the incident(s).
  - Example of generic complaint (to be avoided):
  - ‘Loot of crores of rupees taking place in ABC department’,
  - “Procedures are violated in ABC section”.
- Complaint should not be grievance redressal.
- Complainant should not file same complaint with any other agency to avoid disclosure of his/her identity.
- The complaint should not be motivated or vexatious with intention to harass anyone.
- Complaint under PIDPI cannot be lodged against the employees of
  - State Governments.
  - Corporations established by State Governments.



सीएसआईआर

CSIR

भारत का नवाचार इंजन

*The Innovation Engine of India*

# पीआईडीपीआई

लोकहित शिकायत प्रकटीकरण तथा

मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) 2004

के संवेदिकरण हेतु

सतर्कता अनुभाग, सीएसआईआर



# लोकहित शिकायत प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प (पीआईडीपीआई) 2004

## क्या आपके आस-पास भ्रष्टाचार हो रहा है?

आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगा

लिखित शिकायतें यहाँ प्रेषित करें:

सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,  
नई दिल्ली – 110 023

(लिफाफे पर "पीआईडीपीआई" लिखें। शिकायतें केंद्र सरकार सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और संघ शासित प्रदेशों इत्यादि के कर्मचारियों के विरुद्ध ही होनी चाहिए)

# पीआईडीपीआई शिकायतें: क्या हैं?

## और कब कर सकते हैं ?



1

लोकहित शिकायत प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत दर्ज की गई शिकायतों को “पीआईडीपीआई” शिकायतें कहा जाता है।

यदि कोई शिकायत पीआईडीपीआई के अंतर्गत दर्ज की जाती है, तो शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

2




3

शिकायत केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित होनी चाहिए और लिफाफे पर “पीआईडीपीआई” लिखा होना चाहिए।

केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संघ शासित प्रदेशों सहित) के विरुद्ध की गई शिकायतों पर ही संज्ञान लिया जाएगा।

4



5

अधिक जानकारी के लिए  
<http://www.cvc.gov.in> पर जाएँ।

# • पीआईडीपीआई शिकायतें निम्न में कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज कराई जा सकती है

- केंद्र सरकार
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको
- केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी निगम.
- केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियों, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण



## भ्रष्टाचार क्या है?



- रिश्तत (लेना तथा देना)
- स्वजन पक्षपात
- किसी को लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य या निष्क्रियता।
- किसी (ज्ञात या अज्ञात) को लाभ से वांछित रखने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता।
- पक्षपात
- निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता के कारण किसी को अप्रत्याशित लाभ देना ।
- पात्र को लाभ से वंचित करना
- जानबूझकर की गई घोर लापरवाही
- निर्णय लेने में लापरवाही
- प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन
- अत्यधिक विवेक का प्रयोग, जहां कोई प्रत्यक्ष सार्वजनिक हित स्पष्ट न हो
- नियंत्रण प्राधिकारी/वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक लेनदेन और मुद्दों के बारे में समय पर सूचित रखने में विफलता।



## सूची जारी है .....

- किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या किसी पार्टी या दलों को अनुचित हानि या सहवर्ती लाभ देना
- हेराफेरी, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी या धोखाधड़ी या अन्य समान अपराधों के मामले।
- आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होना
- किसी आधिकारिक कार्य के संबंध में या किसी अन्य अधिकारी के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने के लिए कानूनी पारिश्रमिक के अलावा अन्य परितुष्टि की मांग करना और/या स्वीकार करना।
- किसी ऐसे व्यक्ति से , जिसके साथ उसका आधिकारिक व्यवहार है या होने की संभावना है या उसके अधीनस्थों के साथ आधिकारिक व्यवहार है या जहां वह प्रभाव डाल सकता है , बिना विचार किए या अपर्याप्त विचार के मूल्यवान चीजें प्राप्त करना।
- भ्रष्ट या अवैध तरीकों से या लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या आर्थिक लाभ प्राप्त करना।
- पद का दुरुपयोग


## शिकायत कहाँ करें ?

शिकायतों को निम्नानुसार संबोधित करें :



सचिव,  
केंद्रीय सतर्कता आयोग  
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,  
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,  
नई दिल्ली – 110 023

लिफ़ाफ़े का नमूना :



## पीआईडीपीआई के अंतर्गत शिकायत कैसे दर्ज करें?

- शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" या "पीआईडीपीआई" अंकित होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।
- लिफाफे पर शिकायतकर्ता का नाम एवं पता अंकित नहीं होना चाहिए।
- शिकायतें केवल डाक द्वारा ही भेजी जानी चाहिए।
- ईमेल, शिकायत प्रबंधन पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शिकायतों में शिकायतकर्ता की पहचान करने वाले विवरण शामिल नहीं होने चाहिए।
- शिकायत में दिए गए विवरण या विषय-वस्तु विशिष्ट और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।
- यदि उपलब्ध हो तो शिकायतकर्ता समर्थक दस्तावेज़ भी संलग्न कर सकता है।

# शिकायत पत्र का नमूना:

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय सतर्कता आयोग  
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,  
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,  
नई दिल्ली – 110 023

विषय: .....

ब्योरा .....

.....

.....

.....

.....

धन्यवाद ।

भवदीय

- हस्ताक्षर -  
नाम : क ख ग  
पता : 41 एमजी रोड, शास्त्री नगर  
नई दिल्ली – 110 0XX



## पिछले पृष्ठ में उल्लिखित नमूना पत्र सीवीसी द्वारा नीचे दिए गए प्रारूप में जांच के लिए सीबीआई/सीवीओ को भेजा जाएगा (नाम और पता छिपाकर)

सेवा में,

सचिव,  
केंद्रीय सतर्कता आयोग  
सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,  
जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए,  
नई दिल्ली – 110 023

विषय: .....

ब्योरा .....

.....

.....

.....

.....

धन्यवाद ।

भवदीय

**गुप्त**

आपका नाम और पता सीवीसी द्वारा प्रकट नहीं किया गया है और यह जांच एजेंसी यानी सीवीओ/सीबीआई तक नहीं पहुंचेगा।

## शिकायत करते समय किन बातों से बचना चाहिए

- बेनाम तथा छद्मनाम शिकायतें प्रेषित नहीं की जानी चाहिए ।
- शिकायत में दिया गया विवरण सामान्य प्रकृति का नहीं होना चाहिए । शिकायत में दिया गया विवरण घटनाओं के अनुसार विशिष्ट होनी चाहिए
- सामान्य शिकायत का उदाहरण (जिनसे बचना चाहिए):
  - ‘एबीसी विभाग में करोड़ों की लूट’
  - ‘एबीसी अनुभाग में प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है’
- शिकायत निवारण के लिए नहीं होना चाहिए
- शिकायतकर्ता को अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए किसी अन्य एजेंसी के पास वही शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए।
- शिकायत किसी को परेशान करने के इरादे से प्रेरित या खिझाऊ नहीं होनी चाहिए।
- पीआईडीपीआई के अंतर्गत निम्न के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है
  - राज्य सरकार के कर्मचारी
  - राज्य सरकारों द्वारा नियोजित निगमों के कर्मचारी